"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 680] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2025 — भाद्र 3, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2025

आदेश

क्रमांक एफ 1–3/2019/रास/यू.–5. – इस सचिवालय के आदेश क्रमांक एफ 1–1/2019/रास/यू.–5 दिनांक 07–10–2024 एवं क्रमांक एफ 1–3/2019/रास/यू.–5 दिनांक 11–04–2025 एवं समसंख्यक दिनांक 04–06–2025 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्वों सहित दिनांक 06–08–2025 से 18–08–2025 तक वृद्धि करते हुए कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्देशित किया गया।

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.